संख्या– 281/VI/2005–49पर्य0/2003 टी0सी

प्रेषक,

ए0के0घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,पर्यटन,
पटेल नगर,
देहरादून, उत्तरांचल ।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 24मार्च, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में मेले एवं त्यौहारों हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–268/प0अ0/2004–51(पर्य0)/2003 दिनांक 26 अप्रैल, 2004 तथा शासनादेश संख्या–902/VI/2004–49 पर्य0/2003,दिनांक 21 दिसम्बर,2004 एवं 218/VI/2005–51(पर्य0)/2003 टी0सी0,दिनांक11 मार्च,2005 के क्रम में प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून के पत्रांक–01–01–80/एफ.वी.–2004–05, दिनांक 19फरवरी,2005,अध्यक्ष,महाशिवरात्री सांस्कृतिक मेला कमेटी,धारचूला के पत्रांक–शून्य, दिनांक16 फरवरी,2005 की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित मेलों हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि कुल रूपये 1.40 लाख (रूपये एक लाख चालीस हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	मेले/त्योहारों का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	फूड फैस्टीवल–2005	0.50
2	महाशिवरात्री सांस्कृतिक मेला धारचूला	0.90
	योग	1.40

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उपरोक्त धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–218/VI/2005–51पर्य0/2003, दिनांक 11 मार्च, 2005 द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता हेतु स्वीकृत आयोजनागत पक्ष के मदों से व्यय किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4– फूड फैस्टिवल–2005 तथा महाशिवरात्री मेला धारचूला हेतु स्वीकृत की जा रही उपरोक्त धनराशि पूर्व में उक्त मेलो हेतु स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त अवशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है अतएव इस विशेष अनुदान को भविष्य के लिये दृष्टान्त न माना जाय।

5– सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय/भौतिक का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगें।

6— उपरोक्त धनराशि विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है अतएव इसे भविष्य के लिये कदापि दृष्टान्त न माना जाय एवं नहीं इस आधार पर अनुदान की मांग की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।

संख्या— VI/2005—49पर्य0/2003 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— जिलाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
5— श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन।
6— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन।
7— जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
8— प्रधानाचार्य,राजकीय होटल मैनेजमेंट सस्थान,देहरादून।
9— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
10—अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
11—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

24/3/05

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।